मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

२. परिभाषाएं

३. बटाई

४. बटाई के अनुबंध का निष्पादन

५. भूमिस्वामी के अधिकार का संरक्षण

६. बटाईदार के अधिकार का संरक्षण

७. प्राकृतिक आपदा में सहायता की अधिकारिता

८. अंतरण या मृत्यु की दशा में न्यागमन

९. विवादों का निपटारा

१०. अनुबंध का भंग

११. भूमिस्वामी का पुन:स्थापन

१२. आपसी सहमति से अनुबंध की समाप्ति

१३. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

१४. राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता

१५. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

१६. नियम बनाने की शक्ति

१७. कठिनाईयों का दूर किया जाना

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश भूस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

कृषि भूमि बटाई से देने पर भूमिस्वामी एवं बटाईदार कृषकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने तथा भूमि संसाधन का अधिकतम, प्रभावी एवं लाभप्रद उपयोग करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. विस्तार तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, २०१६ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो—

(क) 'अनुबंध' से अभिप्रेत है भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य भूमिस्वामी की भूमि पर बटाई से कृषि एवं अन्य आनुषंगिक कार्य करने के प्रयोजन से विहित प्ररूप-क में यथासाध्य निष्पादित अनुबंध: परन्तु यह अनुबंध पट्टा या अन्य किसी लिखत के रूप में ग्राह्य नहीं होगा;

(ख) 'बटाई' से अभिप्रेत है भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध के अनुसार धन या फसल का हिस्सा भूमिस्वामी को देकर कृषि करना;

(ग) 'बटाईदार' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध के अनुसार धन या फसल का अंश भूमिस्वामी को देकर कृषि करने वाला व्यक्ति;

(घ) 'भूमिस्वामी' से अभिप्रेत है संहिता की धारा १५८ में वर्णित भूमिस्वामी;

(ङ) 'संहिता' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९);

(च) 'सुधार' से अभिप्रेत है संहिता की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ञ) में वर्णित सुधार और इसमें भूमिस्वामी तथा बटाईदार की आपसी सहमति से, जो कि उनके मध्य निष्पादित अनुबंध में उल्लेखित हैं, किए गए कार्य भी सम्मिलित होंगे;

(छ) 'कृषि के आनुषंगिक कार्य' से अभिप्रेत है कृषि के साथ किए जाने वाले कार्य जैसे पशुपालन, कृषि यंत्रों, खाद, बीज तथा कृषि उपज के भंडारण हेतु संरचना निर्माण जो भूमिस्वामी एवं बटाईदार विहित प्ररूप-क में निष्पादित अनुबंध में विनिश्चित करें.

(२) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में दिए गए हैं.

बटाई.

(३) (१) भूमिस्वामी प्ररूप-क में अनुबंध निष्पादित कर कृषि भूमि बटाई पर दे सकेगा.

(२) संहिता की धारा १६५ की उपधारा (६) के खण्ड (एक) के अधीन घोषित आदिम जनजाति का भूमिस्वामी उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में स्थित अपनी कृषि भूमि केवल अधिसूचित क्षेत्र के आदिम जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर दे सकेगा.